



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230110
CG-DL-E-01102021-230110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3724]
No. 3724]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4058(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना में, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एसओ 2519 (ई), दिनांक 8 अगस्त 2017, की संख्या, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii), अर्थात्;

(१) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तालुका "चंद्रगिरी" से संबंधित कॉलम (3) में, कॉलम (5) के तहत, प्रविष्टि (2) "नागपतला" के बाद, प्रविष्टि (3) "रामिरेडु पल्ले" होगी डाला जाए।

अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य में NH.71 के पीलेरु से तिरुपति खंड को किमी.55.900 से किमी 95.717 तक फोर लेन करने के लिए भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर - II & कला चित्तूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH71 के कि.मी. 58.36 से 109.3 तक	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चंद्रगिरि	1 रामिरेड्डीपल्ली

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-C/II/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4058(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number of S.O 2519 (E), dt.8th August 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), namely;

(1)In the Schedule to the said notification, in column (3) relating to taluk “Chandragiri”, under the Column (5), after the entry (2) “Nagapatla”, the entry (3)“Ramireddi palle” shall be inserted.

SCHEDULE

Land acquisition for Four Laning of Piler to Tirupati Section of NH.71 from Km.55.900 to Km95.717 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector - II & CALA Chittoor	58.36KM To 109.3KM	ANDHRA PRADESH	CHITTOOR	Chandragiri	1 Ramireddi Palle

[F. No. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-C/II/2021]

RAJESH GUPTA, Director